नगर निगम, बरेली।

नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य मार्गो की समुचित सफाई व्यवस्था हेतु दरे आमंत्रित किये जाने की सूचना

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर की स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम बरेली द्वारा निम्नलिखित 10 सड़को के दोनो तरफ अवस्थित व्यावसायिक भवन, अर्द्धव्यावसायिक भवन, गैर व्यावसायिक भवन एवं अन्य प्रतिष्ठानो से घर–घर से कूड़ा एकत्र कर एवं उक्त सड़क की समुचित सफाई यथा डिवाइडर, रोड पटरी, नाली/नाला आदि का तथा सफाई के उपरान्त एकत्रित मलवा, सिल्ट आदि संकलित कूड़े को अपने साधनो से नगर निगम द्वारा निर्धारित डम्पिंग ग्राउण्ड (बाकरगंज) तक पहुँचाने हेतु तथा सड़को के दोनो तरफ अवस्थित व्यावसायिक भवन, अर्द्धव्यावसायिक भवन, गैर व्यावसायिक भवन एवं अन्य प्रतिष्ठानो से नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज वसूलने एवं वसूले गये यूजर चार्ज को उक्त कार्य में व्यय किये जाने उपरान्त यदि कोई अतिरिक्त व्ययभार आता है तो इसके हेतु गैर सरकारी संगठन एवं इस कार्य में कुशल व अनुभवी फर्मो से निम्नलिखित शर्तो के अनुसार सील बन्द दरें आमंत्रित की जाती है। दरें दिनांक 23.08.2018 को 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त दरें उसी दिन सायं 04:00 बजे तक खोली जायेगी। दरो से सबंधित शर्ते नगर निगम की वेबसाइड पर भी www.nagarnigambareilly.com उपलब्ध है।

क्रम संख्या	सड़क/कार्य का विवरण	प्रस्तावित लम्बाई (लगभग)	टैण्डर मूल्य (18%जी०एस०टी० सहित)	जमानत धनराशि (लाख में)	अवधि
01	02	03	04	05	06
01	सैटेलाइट से ईसाईयो की पुलिया से शहामतगंज होते हुये कालीबाड़ी से [illegible] चौराहा से चौपुला चौराहा से जिला पंचायत होते हुये पटवारी तक दोनो साईड।	06 कि०मी०	रू० 2360/–	1.80	06 माह
02	विकास भवन कोठी से गाँधी उद्यान होते हुये चौकी चौराहा से दामोदर स्वरूप पार्क होते हुये चौपुला चौराहा से किला पुल मिनी बाईपास तिराहा तक दोनो साईड।	06 कि०मी०	रू० 2360/–	1.80	06 माह
03	रेलवे स्टेशन से कचहरी व दामोदर स्वरूप पार्क व चौकी चौराहा से [illegible] से कोतवाली होते हुये गांधी पार्क से [illegible] होते हुये [illegible] चौराहा से डी०डी०पुरम तक दोनो साईड।	07 कि०मी०	रू० 2360/–	2.10	06 माह
04	गाँधी उद्यान से विकास भवन होते हुये शहामतगंज पुल पार करते हुये [illegible] रोड से [illegible] तिराहा से आई०वी०आर०आई० मुड़ते हुये एयर फोर्स गेट तक दोनो साईड।	06 कि०मी०	रू० 2360/–	1.80	06 माह
05	[illegible] से एयर फोर्स से आगे तिराहा बैरियर न०–01 तिराहा तक दोनो साईड।	04 कि०मी०	रू० 2360/–	1.20	06 माह
06	सैटेलाइट से रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी से होते हुये फीनिक्स मॉल से होते हुये बैरियर न०–01 तक दोनो साईड।	08 कि०मी०	रू० 2360/–	2.40	06 माह
07	[illegible] रोड को जाने वाले चौपुला चौराहा से पुल पर होते हुये करगैना पुलिया तक दोनो साईड।	07 कि०मी०	रू० 2360/–	2.10	06 माह
08	नैनीताल रोड किला से बी०बी०एल० स्कूल के सामने से हार्टमैन पुल पर चढ़ते हुये इज्जतनगर रेलवे क्रासिंग से मिनी बाईपास से मुड़कर रामपुर रोड तिराहा तक दोनो साईड।	08 कि०मी०	रू० 2360/–	2.40	06 माह
09	जिला पुलिस चौकी, तिलक इन्टर कॉलेज से बड़ा बाजार से कुतुबखाना चौराहा होते हुये [illegible] रोड होते हुये शहामतगंज स्थित नये पुल के नीचे तक दोनो साईड।	04 कि०मी०	रू० 2360/–	1.20	06 माह
10	[illegible] पैट्रोल पम्प विजय पान से जी०आर०एम० स्कूल होते हुए [illegible] पुल के ऊपर व पुल की दोनो साईड।	03 कि०मी०	रू० 2360	1.20	06 माह

Scanned by CamScanner

सामान्य शर्ते

01. न्यूनतम ऑफरदाता को सडक के दोनो ओर स्थित व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठानो से नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज एकत्र करने के लिए अधिकृत होगे। जिसका उपयोग संस्था द्वारा अपने नियमित निर्धारित कार्यों मे किया जायेगा।

02. न्यूनतम ऑफरदाता द्वारा सडक के दोनो ओर स्थित व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठानो का सर्वे कर उनकी सख्या तथा प्रतिमाह बसूले गये यूजर चार्ज की सूचना नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा।

03. ऑफरदाता नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज की सूची नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

04. सडक की स्वच्छता राष्ट्रीय स्तर के मानको के अनुरुप होनी चाहिये।

05. सडक की चौडाई विभिन्न स्थलों पर भिन्न–भिन्न हो सकती है।

06. सडक, किनारे की पटरी (कच्ची अथवा पक्की/पेवमेण्ट/फुटपाथ आदि), डिवाइडर, नाले नाली (यदि है तथा जिसकी चौडाई एवं गहराई विभिन्न स्थलों मे अलग–अलग हो सकती है) नियमित सफाई का कार्य सम्मलित होगा। तथा सडकों की सफाई के उपरान्त निकलने वाला कूडा/सिल्ट/मलवा उठा कर नगर निगम, बरेली द्वारा निर्धारित डम्पिग ग्राउण्ड (बाकरगज) पर डम्प करना होगा,

07. सडकों की स्वच्छता का निरीक्षण नियमित रुप से नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण के समय किसी प्रकार की सफाई में कमी पाये जाने पर अथवा कूडा/सिल्ट/मल्वा आदि पडा पाये जाने पर फर्म का उस दिन का भुगतान काट जा सकता है। एक सप्ताह के अन्दर पुनः किसी भी दिन निरीक्षण के दौरान सफाई मे कमी पाये जाने पर फर्म का पूरे सप्ताह का भुगतान काटा जा सकता है। संतोषजनक सफाई न होने पर किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म का भुगतान विभाग के निरीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने पर किया जायेगा।

08. श्रमिकों को आवश्यक ड्रेस, हेल्मेट/टोपी आदि सुरक्षा हेतु सभी व्यवस्थायें संस्था को करनी होगी। श्रमिकों को कार्य के उपरान्त कोई भी आकस्मिक घटना/सुरक्षा का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

09. जी0एस0टी0 का भुगतान शासनादेश सं0–962/नौ–9–2017–81ज/17 दिनांक 17–10–2017 के अनुक्रम मे ठेकेदार की अलग से मांग पर विभाग द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

10. निविदा डालने से पूर्व क्षेत्र/सडक का निरीक्षण कर ले तथा नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज की गणना करने के उपरान्त ही फर्म द्वारा दरे दी जाये। एक बार दरें प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार की संशोधन मान्य नहीं होगा।

11. फर्मो द्वारा ~~50000.00~~ 25000 (पच्चीस हजार) रू0 प्रति कि0मी0 रोड के दर से धरोहर राशि नगर निगम में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

12. फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13. दरो की स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

14. दरे खोलने की तिथि को यदि अवकाश होगा तो दरें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।

15. फर्म दर खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

16. मानक के तहत गुणवत्ता परक सफाई होने की अवस्था में कार्य की अवधि एवं कार्य की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है।

पर्या0अभि0 | न0स्वा0अधि0 | अ0न0आ0 | न0आ0

Scanned by CamScanner